

उपायुक्त कार्यालय

03 SEP 2012

सिमडेगा
सं० 64/झार०/70/2012

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

निर्वाचन
/

दिनांक:- 28-8-2012

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
सह उपायुक्त सिमडेगा,
झारखण्ड

विषय :- पुनर्गठित मतदान केन्द्रों की सूची के अनुमोदन के संबंध में-झारखण्ड राज्य।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड के पत्र 1338 दिनांक 16-8-2012 के साथ प्राप्त आपके पत्र संख्या 234 दिनांक 4-8-2012 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अनुसरण में सिमडेगा जिलान्तर्गत 70-सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन देने का निदेश हुआ है।

कृपया उक्त विषय के मामले में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं सभी राजनैतिक दलो/जनता/सभी संबंधितों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें एवं इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेजें।

भवदीय,

(जे० के० राव)
अवर सचिव

सं० 64/झार०/70/2012

दिनांक:- 28-8-2012

प्रतिलिपि:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड रांची को उनके पत्र संख्या 1338 दिनांक 16-8-2012 के संदर्भ में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जे० के० राव)
अवर सचिव